Dr. Vandana Suman
Associate Professor
Deptt. of Philosophy
H. D. Jain College, Ara
M.A - II Sem Philosophy
CC-09 - Indian Linguistic trends

1

"Anvitabhidhanavada."
("अन्विताभिधानवाद")

पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यहाँ पद और वाक्य के (सम्बन्ध) को लेकर यह प्रश्न उठता है कि पदों के अर्थ (पदार्थ) वाक्य का अर्थ प्रदान करते हैं या वह वाक्यार्थ पदों का अर्थ प्रदान करता है? इस प्रश्न को दूसरे रूप में इस प्रकार भी रखा जा सकता है कि वाक्यार्थ ग्रहण कैसे होता है — पदार्थ के द्वारा या पदार्थ से निरपेक्ष।

भारतीय तर्कशास्त्र में इस प्रश्न के अनेक उत्तर हैं —

(1) अन्विताभिधानवाद (प्रभाकर मत)
(2) अभिहितान्वयवाद (भाट्ट मत)
(3) समुच्चयवाद (गुरुकुल भट्ट का मत)
(4) तात्पर्यवाद (न्याय और वेदान्त मत)

(1) अन्विताभिधानवाद :—

यह मत प्रभाकर मीमांसकों का है। इस मत के अनुसार वाक्य पदों के संयोग से बनते हैं। पदों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। पद अपने सम्पूर्ण अर्थ को जुड़कर ही अपना अर्थ ग्रहण करते हैं। जब पृथक-पृथक पद परस्पर अन्वित (सम्बद्ध) होते हैं तभी उनसे एक निश्चित अर्थ का बोध होता है। अतः पद वाक्यार्थ ... करते हैं। पद इसी वाक्य में अपना अर्थ केवल संदर्भ से ग्रहण करते हैं। जैसे

आ जाता 'घोड़ा लाओ' है तो 'सैंधव' पद का अर्थ घोड़ा होगा तथा यदि 'सैंधव लाओ' वाक्य का अर्थ 'नमक लाओ' है तो 'सैंधव' पद का अर्थ 'नमक' होगा।

प्रभाकर मत के अनुसार वाक्य या तो विधिमूलक या निषेधमूलक होते हैं। वाक्यों की यह विधि और निषेधमूलकता पदों पर नहीं, किन्तु वाक्यार्थ पर आश्रित होती है। जैसे पृथ्वी पर घट है इन वाक्यों में समान पद व्यवहृत किए गए तथापि इन वाक्यों में अर्थान्तर है। स्पष्टतः यह अर्थान्तर वाक्यों के कारण है न कि पदों के कारण।

स्पष्टतः मीमांसा मत के अनुसार भाषा की इकाई वाक्य है न कि पद। साथ ही अन्विताभिधानवाद इस रूप में यह भी स्वीकार करता है कि वाक्यार्थ ही पदों को अर्थ प्रदान करते हैं। प्रभाकर के अन्विताभिधानवाद का एक प्रश्नोत्तर के माध्यम से और भी अधिक स्पष्ट करते हैं। प्रश्न यह है कि भाषा का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है? प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रभाकर कहते हैं कि भाषा का ज्ञान वाणी और क्रिया के संयोग से प्राप्त होता है। जब कोई बालक किसी व्यक्ति द्वारा उच्चारित कोई वाक्य सुनता है तब वह देखता है कि इस वाक्य को सुनकर श्रोता

किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करता
है। बालक इसी प्रतिक्रिया के आधार
पर वाक्यार्थ ग्रहण करता है और वाक्यार्थ
के द्वारा पदार्थ को भी ग्रहण करता है।
वाक्यार्थ का बोध दो
तरीकों से होता है- (i) खण्डबोध (भेदान्वय)
तथा (ii) अखण्ड बोध (अभेदान्वय)। द्वारा
प्रथम तरीका अपनानेवालों को अभिहिता
न्वयवादी कहा जाता है तो दूसरे तरीका
अपनाने वाला अन्विताभिधानवादी कहलाता
है। वस्तुतः इन दोनों विचारकों में दृष्टि
भेद है। एक वाक्य को दृष्टि
से देखता है तो दूसरा श्रोता की दृष्टि से वाक्यार्थ
बोध की विवेचना करता है। इसलिए
इनके विचार में पाया जाने वाला भेद
ठोस नहीं है। प्रभाकर एवं इनके
अनुयायियों के अनुसार वक्ता किसी
विचार को वाक्य के रूप में ही अभिव्यक्त
करता है, और वह अभिव्यक्ति पदों
के अन्वित होने पर ही होती है। तात्पर्य
है कि वक्ता वाक्य में प्रयुक्त पदों के
अन्विति द्वारा ही अपने विचार को
व्यक्त करता है। श्रोता भी पदों की
अन्विति द्वारा ही अपने विचार को
व्यक्त करता है। श्रोता भी पदों की
अन्विति द्वारा ही वाक्य के अर्थ को
ग्रहण करता है। इस प्रकार वक्ता और
श्रोता दोनों ही वाक्य के अर्थ को
ग्रहण करता है। इस प्रकार वक्ता

के अर्थ को और श्रोता दोनों ही वाक्य के पूरा होने पर ही समझते हैं, वाक्य में प्रयुक्त पदों के अर्थों को अलग-अलग जानकर नहीं। यहाँ पद और पदों की स्वतंत्रता नहीं स्वीकारी जाती है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द या पद स्वतंत्र नहीं होते हैं, जिनके अर्थ भी स्वतंत्र नहीं हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द या पद वाक्य में अन्वित होते हैं। इसलिए उनके अर्थ भी वाक्य के अर्थ से सापेक्षित हैं। इसका तात्पर्य है कि वाक्य के सभी शब्द या पद निरपेक्ष नहीं होते हैं बल्कि सापेक्ष होते हैं। वाक्य के प्रत्येक शब्द एक-दूसरे से सम्बद्ध होते हैं। उनके अर्थ भी परस्पर सम्बद्ध होते हैं। शब्दों के सम्बन्ध से ही वाक्य का अर्थ अभिव्यक्त होता है। प्रभाकर के शब्दों में "वाक्य में निरपेक्ष एवं स्वतंत्र रूप से पदों का प्रयोग नहीं हो सकता है। इसलिए वाक्य में स्वतंत्र रूप से किसी एक निरपेक्ष पद का प्रयोग नहीं होता है। यदि वाक्य में कभी एक पद का प्रयोग होता भी है तो उसका स्वतंत्र एवं निरपेक्ष अर्थ नहीं होता है बल्कि उस पद का अर्थ सत्ता के साथ अन्वित होकर ही बोधगम्य होता है। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण लिया जा सकता है।

अचानक हमारे सामने साँप आ जाता है, तो हम डर से चिल्ला उठते हैं — साँप। यद्यपि साँप एक शब्द या पद है, लेकिन यह सम्पूर्ण वाक्य का अर्थ बोधक है। साँप केवल शब्द मात्र नहीं है, बल्कि साँप की सत्ता का भी द्योतक है। इस शब्द से "यहाँ साँप है" वाक्य की अभिव्यक्ति है। अतएव "साँप" शब्द स्वतंत्र और निरपेक्ष अर्थ का द्योतक नहीं है। इसी प्रकार, कोई प्यासा व्यक्ति "पानी" कहता है, तो इस एक शब्द का भी अन्वित अर्थ होता है — निरपेक्ष और स्वतंत्र अर्थ नहीं। इस शब्द का अन्वित अर्थ है — पानी लाओ। अर्थात यह एक शब्द सम्पूर्ण वाक्य का द्योतक है। यही कारण है कि अन्विताभिधानवाद वाक्य को "सावयव समष्टि" मानता है। जिसके अवयव-रूप पद अपने-अपने अर्थ के द्वारा परस्पर सम्बद्ध होते हैं। सम्बद्ध अर्थ ही वाक्यार्थ है। अर्थात वाक्य के अर्थ को जानने के लिए वाक्य में प्रयुक्त पदों के अर्थ को असम्बद्ध रूप में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मानने पर गौरव (अतिव्याप्ति) दोष होता है। पहले वाक्य में प्रयुक्त पदों के निरपेक्ष अर्थ को स्वतंत्र रूप में जाना जाता है। यह असम्बद्ध अर्थ है। फिर उन अर्थों को परस्पर मिलाया

जाता है। यह सम्बद्ध अर्थ है
जिसके पश्चात सम्बद्ध अर्थ से वाक्यों
का अर्थ जाना जाता है।
अभिहितान्वयवादियों के अनुसार
पहला कारण तात्पर्य है क्योंकि वाक्य
में प्रयुक्त पदों का अर्थ संकेत
अन्वित एवं सम्बद्ध रहता है।
इस प्रकार वाक्यार्थ के लिए तीन नहीं
दो कारणों की ही आवश्यकता
होती है। तीन पक्षों के कारण ही
गौरव दोष होता है।

सम्बद्ध अर्थ का
तात्पर्य है कि वाक्य में प्रयुक्त
पद का अर्थ एक दूसरे के अर्थ की
अपेक्षा रखता है, इसी अपेक्षित
अर्थ द्वारा वाक्य का अर्थ स्पष्ट
होता है। परन्तु सम्बद्ध या अपेक्षित
अर्थ का अनायास ही नहीं जाना
जा सकता है इसे जानने की
एक विधि है जिसे "आवापोद्वाप"
कहते हैं। जैसे - कोई व्यक्ति
कहता है कि "गाय लाओ" और कोई
बच्चा देखता है कि जिस व्यक्ति से
गाय लाने के लिए कहा गया है
वह व्यक्ति एक विशिष्ट पशु को ले
आता है। फिर उससे कहा जाता है
कि "गाय ले जाओ" और वह
उस विशिष्ट पशु को ले जाता है,
जिसे वह बच्चा देखता है। गाय
लाने और ले जाने की क्रिया

को निरन्तर बच्चा समझा जाता है
कि वह विशिष्ट पशु गाय है। अतः 'गाय'
शब्द के अर्थ को जानने के लिए 'आना'
'जाना' 'ले जाना' क्रियाओं के अर्थ से
सम्बन्ध करना पड़ता है। यह अनुमान
निरीक्षण या प्रत्यक्ष पर आधारित है।
जो दो प्रक्रियाएँ रूप बताते हैं। आवाप की
विधि से विभिन्न वाक्यों में समान रूप से
प्रयुक्त एक पद का एक विशेष अर्थ से
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है और
जाति विशिष्ट व्यक्ति का ज्ञान प्राप्त हो
जाता है। गाय लाओ, गाय ले जाओ,
गाय दुहो, गाय चराओ, आदि वाक्यों में
'गाय' पद का प्रयोग समान रूप से हुआ
है। इन सभी वाक्यों में 'गाय' का अर्थ
विशिष्ट पशु 'गाय' के साथ-साथ
उसकी जाति 'गोत्व' का भी बोध होता
है। अतः आवाप विधि से गोत्वविशिष्ट
गाय के रूप में गाय का अर्थ जाना जाता है।
इसी प्रकार एक पद का अलग-अलग
क्रियाओं से परस्पर सम्बद्धता को
उद्वाप विधि से अलग-अलग क्रियाओं
के अर्थों के बोध से जाना जाता है।
लाओ, ले जाओ, दुहो, चराओ आदि
क्रियाओं का प्रयोग ऊपर लिखित अलग-
अलग वाक्यों से हुआ है। इन सभी
क्रियाओं का सम्बन्ध एक ही पद 'गाय'
से है। इस सम्बन्ध द्वारा ही प्रत्येक
वाक्य का अर्थ ज्ञात होता है।
यही उद्वाप विधि है। स्पष्ट

है कि इनका प्रयोग [illegible]
जो [illegible] समास के [illegible] प्रायः [illegible]
[illegible] अलग-अलग पदों [illegible]
[illegible] प्रकार [illegible]
जाता, [illegible] वाक्य में अन्वय [illegible] हैं, जो
रूप में नहीं, रूप में ही जाते हैं, जो सम्बद्ध

यह स्पष्ट है कि किसी वाक्य का ज्ञान [illegible] से होता है। [illegible] वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द या पदों परस्पर अन्वित करता है। ऊपर के उदाहरणों में 'राम' पद की अन्विति 'जाओ', 'पढ़ाओ' क्रिया पदों से होती है। लेकिन एक वाक्य में 'राम' और [illegible] परस्पर सम्बन्धित हैं, तो दूसरे वाक्य में 'राम' और 'पढ़ाओ' परस्पर सम्बन्धित हैं। इसी प्रकार दोनों वाक्यों का परस्पर सम्बन्ध [illegible] और चरणों से है, [illegible] कि वाक्यों में संज्ञा पद एक है, पर क्रिया पद अलग-अलग। परन्तु दोनों वाक्यों में [illegible] क्रिया का सम्बन्ध संज्ञा पद से है। इसका तात्पर्य है कि वाक्यों में प्रयुक्त पदों का [illegible] बना रहता है, [illegible] निश्चय नहीं होता है। क्रिया पद

का सम्बन्ध जिस तरह से
संज्ञा पद में होता है जिसका किसी
किसी प्रकार का होता है। इसलिए वाक्यों
को जानने का आधार
पदों का अनित्य तथा सापेक्ष
अर्थ है। अनेकार्थक पदों का
अनित्य होने का तात्पर्य
यह नहीं है कि पदों के अर्थ में
यह नहीं है कि
परिवर्तन होता है, बल्कि जिस प्रकार
के साथ उनका सम्बन्ध होता है
उसके अनुकूल ही उनका विशेष
होता है। गधा, घोड़ा आदि का
अर्थ निश्चित है। गाय, चिड़िया
दूहना, चराना आदि क्रियाओं
का अर्थ भी निश्चित है। गाय
साथ दूहो, बकरी दूहो, वाक्यों में
जो अर्थ अभिव्यक्त होता है
वह भिन्न है। दूहना क्रिया के
समान है, लेकिन गाय और बकरी
के समान, वाच्यार्थ नहीं है। केवल
है मालूम दोनों के वाच्यार्थ भिन्न
हो जाते हैं। इसी दृष्टिकोण से
सम्बद्ध या सापेक्ष अर्थ का
अनित्य कहा गया है।